झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सीएमपी संख्या 871/2019

डॉ. निखत परवीन, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता- मो. अब्दुल फतह पता- शास्त्री नगर, डाकघर एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखंड।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. झारखंड लोक सेवा आयोग, (अध्यक्ष के माध्यम से) सर्कुलर रोड, डाकघर - जीपीओ, थाना - लालपुर, जिला रांची।

..... विपक्षीगण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : सुश्री राखी शर्मा, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री संजय पिपरावाल, अधिवक्ता

सुश्री रूबी पांडेय, एससी-II की जे.सी.

03/दिनांक 03 जुलाई, 2020

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। उन्हें ऑडियो और विजुअल कनेक्टिविटी संबंधी कोई शिकायत नहीं है।

यह सिविल विविध याचिका, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3790/2018 की पुन: बहाली के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 04.09.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

विपक्षीगण का पक्ष रखने के लिए जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय पिपरावल तथा राज्य की ओर से एस.सी.-II की जे.सी. सुश्री रूबी पांडेय उपस्थित हुए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सिविल विविध याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3790/2018 दिनांक 04.09.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दी गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका की त्रुटियों को दूर करने का वचन दिया और इस बात को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3790/2018 को उसकी मूल फाइल में पुन: बहाल करने की प्रार्थना की।

विपक्षीगण की ओर से उपस्थित श्री संजय पिपरावाल, अधिवक्ता एवं एस.सी.-II की जे.सी. सुश्री रूबी पांडेय ने मामले में कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि उक्त रिट याचिका को मूल फाइल में बहाल किया जाए ताकि मामले की सुनवाई की जा सके और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

यह न्यायालय दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और उस पर विचार करने के बाद, रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3790/2018 को मूल फाइल में पुन: बहाल करना उचित समझता है।

अतः रिट याचिका डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 3790/2018 को दोषों को दूर करने की शर्त पर मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

परिणामत:, इस सिविल विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)

बीरेन्द्र/